न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 251/2011
प्रविष्टि दिनांक 17–8–2011

1–राजाराम पुत्र रामसहाय जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2–सोसर बेवा रामसहाय जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3–मदन पुत्र सुखदेवा जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4–समोदरा पुत्री रामसहाय जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5–भूली पुत्री सुखदेवा जाट निवासी डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण कुमार शर्मा,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

दिनांक 7.12.2020

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम ,उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 247 में 0.53 हैक्टर भूमि का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी का अंकन करके निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 12–7–2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्दा भूमि का सिंचित दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1050/09 दिनांक 12.07.2010 तलब की गई। हमने बहस अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु ... व अन्य खातेदार की भूमि ख0नं0 247 में से 5300 वर्गमीटर वाके ग्राम उस्मानपुरा ... अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत ... जारी होने के पश्चात 3 सी व धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी ... गया तथा भूमि अधि... रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:32 IST
Reason: SelfAttested

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner

से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये माल मालदोयम (बारानी–1) भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी।बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1050/2009 दिनांक 12.07.2010 से प्रार्थीगण राजाराम पुत्र रामसहाय जाट,सोसर बेवा रामसहाय जाट, मदन पुत्र सुखदेवा जाट, समोदरा पुत्री रामसहाय जाट, भूली पुत्री सुखदेवा जाट निवासी डारडाहिन्द आदि के हक की भूमि ख0नं0 247 में से 5300 वर्गमीटर किस्म बारानी–1 की दर से ग्राम उस्मानपुरा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी सम्वंत 2065–2067 प्रस्तुत की है जिसमे भी उक्त भूमि माल–2 दर्ज है, जबकि सम्वंत 2067 मे भूमि अवाप्त हुई है। प्रार्थीगण के कहने मात्र से सिचिंत भूमि का मुआवजा दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 7.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner